तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6024/2004/चित्तौडगढ देवेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य निगरानी/एलआर/6025/2004/चित्तौडगढ करणसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
शेष विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय
दिनांकः– 06–01–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) निम्बोहडा के आदेश दिनांक 30–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी जमानतदार की कृषि भूमि के बाबत नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई गई है।

उक्त दोनों प्रकरणों में विवादवस्तु एक ही होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थी की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। आगे बताया कि प्रथम ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत एफडीआर से बकाया राशि का समायोजन नहीं कर प्रार्थी से वसूली किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जबकि प्रार्थी गरीब काश्तकार है तथा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6024/2004/चित्तौडगढ देवेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य निगरानी/एलआर/6025/2004/चित्तौडगढ करणसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उसके धारण में परिवार के जीविकोपार्जन हेतु कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कोंई विकल्प उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि प्रार्थी की भूमि पर वर्तमान में फसल बो रखी है। अतः आक्षेपित आदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 239 (2) के विपरीत है। उनका तर्क है कि मामले में अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी का पक्ष बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर अनियमितता की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 231 के अनुसार भूमि को कुर्क कर भूमि की पैदावार से बकाया ठेका राशि वसूली की जा सकती है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में हस्तगत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है तथा आक्षेपित आदेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) निम्बोहडा के आदेश दिनांक 30–11–2004 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अनुतोष चाहा कि प्रथम ठेकेदार से ठेका राशि वसूल करने का आदेश सहायक खनिज अभियन्ता को प्रदान किया जावे। इसके विपरीत उपराजकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना बताया है। उनका कहना है कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6024/2004/चित्तौडगढ देवेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य निगरानी/एलआर/6025/2004/चित्तौडगढ करणसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया तथा आक्षेपित आदेश एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि मामले में सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) निम्बोहडा के आदेश दिनांक 30–11–2004 द्वारा प्रार्थी जमानतदार से बकाया राशि वसूली हेतु आदेशित किया गया है। प्रार्थी का दौराने बहस प्रथम आक्षेप है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। रेकार्ड के अवलोकन से दृष्टिगोचर होता है कि प्रार्थी जमानतदार है तथा खनिज ठेके की बकाया राशि मूल ठेकेदार से अदायगी नहीं किए जाने की स्थिति में जमानतदार से वसूली की कार्यवाही अवधारित होती है। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में इस मत की व्याख्या की है कि मामले से जुडे प्रत्येक व्यक्ति को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य प्रदान करने के बाद पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। चूॅकि हस्तगत मामलें में प्रार्थी की यह आपत्ति की आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें नहीं सुना गया है। अतः उपलब्ध विधिक सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थी का पक्ष सुने बिना उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः न्यायहित में बकायादार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी में विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए मामले को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6024/2004/चित्तौडगढ देवेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य निगरानी/एलआर/6025/2004/चित्तौडगढ करणसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी को आंशिक स्वीकार कर सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) निम्बोहडा के आदेश दिनांक 30–11–2004 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) निम्बोहडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत मामले से संबंधित समस्त पक्षकारान को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए तथा जमा एफडीआर के अतिरिक्त ठेके की स्पष्ट बकाया राशि की गणना करते हुए उसकी वसूली बाबत प्रथम ठेकेदार से किए जाने बाबत विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें। इसके साथ ही उक्त समस्त कार्यवाही इस निर्णय के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पूर्ण रूप से निस्तारित होने की भी आज्ञा जारी की जाती है। उक्त निर्धारित अवधि में बकायादार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/6024/2004/चित्तौडगढ देवेन्द्रसिंह बनाम सरकार व अन्य निगरानी/एलआर/6025/2004/चित्तौडगढ करणसिंह बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए